कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक (फार्म), हल्दी

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर
जिला–ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

विश्वविद्यालय फार्म के विभिन्न प्रक्षेत्रों में खरीफ 2022 में लगभग 84.80 हैक्टेयर में उत्पादित गन्ने की खण्डों से कॉटे तक ढुलाई के कार्य हेतु
अल्पकालीन निविदा प्रपत्र

निविदा संख्या.....	:	निविदा शुल्क ₹ 500.00 प्रति निविदा+18% जी0एस0टी0
निविदा फार्म मुख्यालय से प्राप्त करने की तिथि व समय	:	दिनांक 03.12.2022 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से
निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	:	दिनांक 12.12.2022 को अपरान्ह 3.30 बजे तक
निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि व समय	:	दिनांक 13.12.2022 को अपरान्ह 1.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि व समय	:	दिनांक 13.12.2022 को अपरान्ह 3.00 बजे

विश्वविद्यालय फार्म के विभिन्न प्रक्षेत्रों में खरीफ 2022 में लगभग 84.80 हैक्टेयर में उत्पादित गन्ने की खण्डों से कॉटे तक ढुलाई के कार्य हेतु दरें।

हल्दी/बेनी प्रक्षेत्र

खण्ड का नाम	कांटा "ए" (बेनी प्रक्षेत्र)	दर प्रति कु0 (अंको एवं शब्दों में)
	खण्ड से क्रय केन्द्र तक औसत दूरी (कि0मी0)	
"एच"	8.00	
"एन"	1.00	
"क्यू"	1.00	
"आर"	2.00	
"टी"	3.00	

मैंने पूर्व पृष्ठ भाग पर वर्णित अल्पकालीन निविदा की शर्तों का अध्ययन कर लिया है व सभी शर्ते मान्य है। धरोहर धनराशि ₹ ..... बैंक ड्राफ्ट सं0 ..... दिनांक ..... के द्वारा जमा कर दिया है जो इस निविदा के साथ संलग्न है।

बैंक ड्राफ्ट सं0.....
दिनांक.....
धनराशि ₹ .....

निविदादाता के हस्ताक्षर .....
पूरा नाम/पिता का नाम .....
ग्राम व पोस्ट .....
तह0 ..... जनपद.....
पिन ..... दूरभाष.....
मोबाइल नं0 .....
पैन संख्या ..... आधार नं0.....
बैंक का खाता सं0/शाखा का नाम .....

01/12/22

अल्पकालीन निविदा जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

01/12/22

अल्पकालीन निविदा की शर्तें

गन्ना ढुलाई

1. अल्पकालीन निविदा के साथ गन्ना ढुलाई हेतु धरोहर राशि ₹ 20,000.00 (वापसी योग्य) बैंक ड्राफ्ट एवं एफ0डी0आर0 जो गो0ब0पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फार्म खाते के नाम देय हो, जमा करना आवश्यक होगा। बिना सुरक्षा धनराशि के अल्पकालीन निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
2. निविदादाता को अल्पकालीन निविदायें दिनांक 13.12.2022 को अपरान्ह् 1.00 बजे तक फार्म मुख्यालय हल्दी में रक्षित पेटी में जमा करनी होगी। जो उसी दिन सांय 3.00 बजे समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदादाता भी उपस्थित रह सकते हैं।
3. निविदादाता को गन्ना ढुलाई हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले ट्रैक्टर–ट्राली/ट्रक की संख्या का उल्लेख निविदा प्रपत्र में स्पष्ट रूप से करना होगा जिससे विश्वविद्यालय फार्म अपने प्रतिदिन मांग के अनुसार की व्यवस्था कर सकें।
4. गन्ने के खेतों से ढुलाई गन्ना मिल की मांग के अनुसार कांटे तक करनी होगी।
5. फार्म के खण्डों से गन्ने की निकासी से पूर्व खण्ड अधीक्षक के द्वारा रवन्ना प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना रवन्ना प्राप्त किये ट्रैक्टर–ट्राली व ट्रक खेत से बाहर नहीं निकाली जायेगी।
6. सम्बन्धित ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि के द्वारा विश्वविद्यालय फार्म की किसी भी चल/अचल सम्पत्ति को यदि कोई हानि होती है तो उसका दायित्व ठेकेदार का होगा।
7. यदि सम्बन्धित ठेकेदार ठेका लेने के उपरान्त कार्य करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा धरोहर धनराशि को जब्त करने के अतिरिक्त उसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति हेतु विधिक कार्यवाही की जा सकती है तथा इसके साथ ही काली सूची में डाले जाने की कार्यवाही की जायेगी।
8. ठेकेदार के श्रमिकों, एवं मशीनों द्वारा वि0वि0 फार्म की फसलों को क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित ठेकेदार से की जायेगी।
9. ट्रैक्टर–ट्रॉली एवं ट्रकों में गन्ने की लदाई एवं उतराई का कार्य सम्बन्धित ठेकेदार को करना होगा।
10. किसी भी अल्पकालीन निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार कुलपति महोदय में निहित होगा। किसी तरह के विवाद पर अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार कुलपति जी को होगा। जो दोनों पक्षों को मान्य होगा। इसका न्याय क्षेत्र जिला–ऊधम सिंह नगर में निहित होगा।
11. यदि खेत में गन्ना छोड़ा गया तो ₹ 500.00 प्रतिदिन की दर से क्षतिपूर्ति कर ली जायेगी।
12. ठेकेदार को आवश्यकतानुसार कम से कम 04 ट्रैक्टर व 06 ट्रॉली, ट्रान्सपोर्ट के साधन उपलब्ध कराने होंगे।
13. प्रस्तावित कार्य अनुमानित कार्य है, कार्य की मात्रा कम या अधिक हो सकती है।
14. सम्बन्धित ठेकेदार को अपना बैंक खाता, पेन नं0 एवं आधार कार्ड नं0 का अल्पकालीन निविदा में उल्लेख करते हुए छायाप्रति भी प्रस्तुत करनी होगी तथा उक्त कार्य पर यदि जी0एस0टी मुक्त है तो उक्त स्थिति में जी0एस0टी0 मुक्त विषयक प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
15. उपरोक्त कार्य पर किसी भी प्रकार का टैक्स/स्टाम्प डियूटी आदि राज्य एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू किया जाता है तो उसके भुगतान की पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।

मुख्य महाप्रबन्धक (फार्म)

निविदादाता के हस्ताक्षर